न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–1, फतेहपुर।
उपस्थितः राम किशोर ।।। ......एच 0 जे0 एस 0
जे०ओ० कोड–UP6055
सत्र परीक्षण संख्या– 11/2013

UPFT010034072013

राज्य

..........अभियोजक

प्रति

1. सूरजबली लोधी उम्र 74 वर्ष पुत्र पारस लोधी प्रधान
निवासी दढ़ीवा, थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर।
2. जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू उम्र 52 वर्ष पुत्र मुन्नू लाल तिवारी
निवासी आबूनगर थाना–कोतवाली, जिला फतेहपुर।
3. राजू डॉक्टर उम्र 58 वर्ष पुत्र राममनोहर श्रीवास्तव
निवासी–71, आबूनगर थाना–कोतवाली जिला फतेहपुर।

...........अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–890/2008
धारा 147, 148, 307 सपठित
धारा–149, 504 व 506 भा०दं०सं०
थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद में **अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू व राजू डॉक्टर** का विचारण, मुकदमा अपराध संख्या– 890/2008 **धारा 147, 148, 307 सपठित धारा–149, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता**, थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर में किया जाता है।

2. **अभियोजन मामला संक्षेप** में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अकबर पुत्र रसूल बक्स ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया है कि वादी की पत्नी ने श्रीमती रामदुलारी से ताम्बेश्वर के मंदिर के पास एक बीघा एक बिस्वा जमीन का बैनामा दिनांक 10.07.2008 को कराया है, जिसकी गाटा संख्या 1323 है। दिनांक 28.09.2008 को वादी अपनी जमीन की देख–रेख के लिये लगभग दो बजे दोपहर मौके पर गया था तथा वादी के साथ मो० आफाक अख्तर पुत्र सईद अख्तर निवासी 244 उत्तरी खेलदार, थाना कोतवाली, फतेहपुर भी थे, जब वादी अपनी जमीन की नाप जोख कर रहा था कि उसी समय वहां पर सूरजबली लोधी पुत्र पारस लोधी प्रधान दढ़ीवा, थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर व जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू पुत्र श्री मुन्नूलाल तिवारी निवासी आबूनगर,

Digitally signed by RAM KISHOR
Date: 2026.06.12 11:05:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

फतेहपुर व शंकरलाल पाण्डेय उर्फ लउवा पाण्डेय पुत्र जगन्नाथ निवासी आबूनगर, थाना कोतवाली व अवध बिहारी द्विवेदी पुत्र महाबीर प्रसाद निवासी लाल बंगला कानपुर तथा राजू डाक्टर पुत्र अज्ञात निवासी आबूनगर, थाना कोतवाली, फतेहपुर अपने–अपने हाथों में नाजायज असलहे लेकर मौके पर आ गये व वादी से कहने लगे कि यह जमीन हम लोगों की है, तुम इस पर क्या कर रहे हो। वादी के बताने पर कि उसने इस जमीन का बैनामा कराया है, वह सभी लोग उत्तेजित हो गये तथा वादी व मो० आफाक को मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे तथा वादी के मना करने पर सभी लोग मारपीट करने लगे। इसी दौरान सभी ने अपने हाथ में लिये असलहो से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जो मेरे साथ मौजूद मो० आफाक के लगा जिससे उसके चोटे आयी है, वह बाल–बाल बचा, वरना फायर की चोट उसके सीने पर लगती। घटना के दौरान सूरजबली सिंह लोधी तथा अन्य सभी लोग भी नाजायज असलहे लिये हुये थे। घटना के दौरान शहाब पुत्र स्व० अंसार अली निवासी पनी व नग्गन पुत्र श्री रहीम बक्स निवासी अमरजई, फतेहपुर तथा अन्य कई लोग आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया। लोगों के आ जाने पर उपरोक्त सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। वादी उसी दिन घटना की रिपोर्ट करने थाना कोतवाली, फतेहपुर गया, परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी व कहा कि पहले इलाज कराओ, तब वादी व मो० आफाक अख्तर अस्पताल गये, अख्तर का काफी प्रयास के बाद अगले दिन डाक्टरी मुआयना हुआ। उसके बाद वादी फिर कोतवाली गया, परन्तु उसकी रिपोर्ट नही लिखी गयी तथा कहा कि अभी जांच चल रही है, जांच पूरी होने पर रिपोर्ट लिखी जायेगी। उसके बाद वादी कई बार कोतवाली गया, परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी व कल दिनांक 16.11.2008 को पुनः वादी थाना गया तो उसकी रिपोर्ट लिखने से थाना कोतवाली की पुलिस ने इंकार कर दिया। तब वादी ने दिनांक 17.11.2008 को पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थनापत्र भेजा लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर वादी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह याचना किया है कि थाना कोतवाली जिला फतेहपुर की पुलिस को आदेशित करे कि वह वादी की रिपोर्ट दर्ज करके मामले की विवेचना करे। उक्त प्रार्थनापत्र पर न्यायालय में सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 05.12.2008 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार करते हुए सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया कि प्रार्थनापत्र के प्रकाश में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करें एवं अपनी आख्या अन्दर सप्ताह पेश करें।

3. उक्त घटना की रिपोर्ट वादी मुकदमा अकबर द्वारा दिए गए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श क–1 एवं समर्थित शपथपत्र प्रदर्श क–2 के प्रकाश में एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.12.2008 के आधार पर संबंधित थाने पर दिनांक 09.12.2008 को समय करीब 16.00 बजे मुकदमा अपराध संख्या–890/2008 ,अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307 व 504 भारतीय दण्ड़ संहिता में अभियुक्तगण सूरज बली, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू, शंकरलाल पाण्डेय, अवध बिहारी द्विवेदी व राजू डॉक्टर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ तथा मामले की विवेचना उपनिरीक्षक द्वारा की गयी। विवेचक ने दौरान विवेचना गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किये, नक्शा नजरी तैयार किया तथा वादी मुकदमा व अन्य गवाहों के बयान मे भिन्नता व अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किये जाने का कोई साक्ष्य न होने के आधार पर विवेचक उपनिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मामले मे अंतिम रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

4. अंतिम आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर वादी मुकदमा द्वारा अंतिम आख्या में प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुये उक्त मामले को परिवाद के रूप में चलाये जाने का आदेश पारित करते हुये पत्रावली वादी की साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० हेतु नियत की गयी।

5. वादी मुकदमा अकबर अली का अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० के बयान व वादी मुकदमा की तरफ से प्रस्तुत साक्षीगण पी०डब्ल्यू० 1 आफाक अख्तर, पी०डब्ल्यू 2 नग्गन व पी०डब्ल्यू 3 साहब अली व पी०डब्ल्यू 4 सुभाष चन्द्र सिंह चीफ फार्मासिस्ट जिला चिकित्सालय फतेहपुर व पी०डब्ल्यू० 5 डॉक्टर अजीत सिंह के बयान अंकित किये गये, जिसके आधार पर अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2011 को अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू, शंकरलाल उर्फ लउवा पंडित व अवध बिहारी द्विवेदी व राजू डॉक्टर को अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत तलब किया गया।

6. अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू, शंकर लाल उर्फ लउवा पंडित, अवध बिहारी द्विवेदी व राजू डाक्टर के विरूद्ध धारा 147, 148, 307 सपठित धारा 149, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप दिनांक 13.08.2025 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया और विचारण की मैंग की।

7. दौरान विचारण अभियुक्तगण शंकरलाल उर्फ लउवा पंडित व अवध बिहारी द्विवेदी की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपसमित की गयी।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में **वादी मुकदमा अकबर अली (अ०सा०–1), चोटहिल आफाक अहमद (अ०सा०–2), नग्गन (अ०सा०–3), साहब अली (अ०सा०–4) व सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट सुभाषचन्द्र सिंह (अ०सा०–5)** को परीक्षित कराया गया है।

9. पत्रावली में निम्न अभियोजन प्रपत्र सम्मिलित हैं–

क्रम संख्या	अभियोजन प्रलेखों का विवरण	प्रदर्श
1.	प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता	क–1
2.	शपथपत्र	क–2
3.	प्रोटेस्ट पेटीशन	क–3
4.	बयान अन्तर्गत धारा–200 सी.आर.पी.सी.	क–4
5.	आफाक अख्तर की आघात आख्या	क–5
6.	एक्सरे–रिपोर्ट	क–6

10. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की गुण विवेचना करने से पूर्व अभियोजन साक्षीगण के बयानों का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

11. **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा अकबर अली** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि वह इस मुकदमें के सभी मुल्जिमान सूरजबली लोधी, जीतेन्द्र तिवारी शंकर लाल पाण्डे व अवध बिहारी द्विवेदी व राजू डाक्टर को मैं जानता पहचानता हूँ। मेरी पत्नी ने श्रीमती रामदुलारी से तांबेश्वर मंदिर के पास एक बिस्वा जमीन का बैनामा दिनांक 10.07.2008 को कराया था, जिसकी गाटा संख्या 1323 है। यह घटना दिनांक 28.09.2008 को समय करीब 02 बजे दिन की है, उस समय मेरे साथ आफाक अख्तर जमीन की देख–रेख करने गये थे, नाप जोख करा रहा था, उसी समय उपरोक्त मुल्जिमान अपने हाथों में नाजायज असलहे लेकर आ गये, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा यह जमीन मैंने खरीदी है। मैं इसकी नाप जोख करा रहा हूं। इतने में सभी उपरोक्त लोग गाली–गलौज करने लगे और हाथापाई करने लगे। मेरे साथ मौजूद आफाक अख्तर के ऊपर फायर किया, जिससे आफाक को चोटें आयी। घटना के समय शोर गुल पर और लोग आ गये,

जिनके नाम शहाब पनी मोहल्ला, नग्गन अमरजई के और बहुत से लोग आ गये, उन्होंने बीच बचाव किया। लोगों के आ जाने पर मुल्जिमान जान माल की धमकी देते हुए चले गये। मैं उसी दिन थाना कोतवाली, फतेहपुर रपट लिखाने गया, रपट नहीं लिखी गयी, कहा पहले इलाज कराकर आओ, तब रपट लिखाना। आफाक को लेकर सदर अस्पताल, फतेहपुर गया, उस दिन रविवार था। दूसरे दिन डॉक्टरी मुआयना कराया। दूसरे दिन रिपोर्ट लिखाने कोतवाली गया तो कहा कि जांच चल रही है, जांच पूरी होने पर रपट लिखी जायेगी। मैं कई बार कोतवाली गया, परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मैं अन्तिम बार 16.11.2008 को थाना कोतवाली गया, फिर नहीं लिखी तो 17.11.2008 को मैंने एस०पी०, फतेहपुर को रजिस्ट्री की थी, फिर भी कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में टाइप कराकर वकील साहब के माध्यम से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिया, जिस पर मैंने हस्ताक्षर किये, तब मुकदमा लिखने का आदेश हुआ। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) दं० प्र० सं० व शपथ पत्र पत्रावली में शामिल है, जिन पर बने हस्ताक्षर की गवाह ने पहचान व पुष्टि करते हुए प्रार्थना पत्र को प्रदर्श क–1 के रूप में एवं शपथ पत्र को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। इसके बाद पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, जिस पर मैंने न्यायालय में आपत्ति दाखिल किया। आपत्ति पत्रावली में शामिल है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की गवाह ने पहचान व पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। आपत्ति के आधार पर परिवाद के रूप में मुकदमा दायर किया, जिसमें मैंने धारा–200 दं० प्र० सं० न्यायालय में दिया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, पत्रावली में शामिल है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। **बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** मैं व्यापार नहीं करता हूँ खेती करता हूँ। मेरी मेरा मौजा अजगवां में पौने दो बीघा खेती है। सरांय मौजा में भी सवा तीन बीघा खेती है। इसके अलावा और कहीं खेती नहीं है। ताम्बेश्वर पुरवा वाली जमीन मैंने तीन लाख रुपये में खरीदा था। इस जमीन में मेरी औरत के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार नहीं था। ताम्बेश्वर मन्दिर से उत्तर की तरफ है। यह जमीन आबादी में नहीं है। अब आबादी से मिली हो गई है। मैं झगड़े के बाद मैं अपनी जमीन को देखने आज तक नहीं गया। आफाक अख्तर खेलदार के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम सईद अख्तर उर्फ जीमियां है। यह सईद अख्तर उर्फ जीमियां नगर पालिका फतेहपुर में कर्मचारी के रूप में शुरू से नौकरी किया है और अब रिटायर हो गये। नगर पालिका फतेहपुर जिला अस्पताल के सामने बना है। आफाक का घर मुझे नहीं मालूम। मैं आफाक व उनके पिता का नाम मिलने जुलने के कारण जानता पहचानता हूँ। मैं इन लोगों को दसों साल पहले से जानता पहचानता हूँ। आफाक दोस्ती के नाते गये थे। मेरी सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं दो बजे के बाद घटनास्थल पर पहुंचा था। हम दोनों लोग मोटरसाइकिल से गये थे। मोटरसाइकिल आफाक की थी। मैं शंकर लाल पाण्डेय मुल्जिम का मकान नहीं जानता हूँ। मुझे बताया गया था कि मुल्जिम शंकर लाल पाण्डेय के पिता का नाम जगन नाथ है। सूरज बली मुल्जिम का नाम पारस लोधी बताया गया। सूरजबली गाजीपुर थाना के गढ़ीवा गांव का रहने वाला है। मैं कभी गढ़ीवा गांव नहीं गया। उस गांव के और किसी व्यक्ति को नहीं जानता। इस घटना से पहले मुझसे व सूरजबली प्रधान से कभी कोई गाली–गलौज लड़ाई झगड़ा व शिकवा शिकायत नहीं हुआ। घटना के पहले मेरा उपरोक्त मुल्जिमानों से इस सम्पत्ति को लेकर के कोई विवाद व शिकायत नहीं हुई। घटना के समय मैं व आफाक अख्तर खेत के उत्तरी मेड़ पर खड़े थे। मुझे याद नहीं कि चारों मेड़ो की लम्बाई कितनी है। घटना के समय मैं आफाक अख्तर से करीब 15 फुट की दूरी पर था। घटना के समय मुल्जिमान मुझसे व आफाक से कितनी दूरी पर थे मैं यह नहीं बता सकता। मेरे व मुल्जिमानों के बीच घटना के समय कोई अवरोध नहीं था बल्कि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। सबने फायर किया था फिर कहा कि कुछ ने हवाई फायर किया था। कुछ ने सामने से फायर

किया था। मैं नहीं बता सकता कि किसने सामने से फायर किया। किसने सामने से किया। कुल तीन चार फायर हुए थे जिसमें से केवल एक गोली आफाक अख्तर को लगी थी। मेरे नहीं लगी। शहाब गवाह पनी का रहने वाला है। नग्गन अमर जई के रहने वाले हैं। घटनास्थल से मो० अमर जई व पनी लगभग ढाई तीन किलोमीटर पूरब दक्षिण कोने पर है। इन दोनों गवाहों के अलावा घटनास्थल पर आये अन्य लोगों को मैं जानता पहचानता नहीं हूँ। मो० पनी में मैं वज्रन, रजा आदि का नाम जानता हूँ। वज्रन के पिता रज्नन को जानता हूँ। वह तहसील में बैनामा लेखक थे। वज्रन व रजा जमीन खरीद कर प्लाटिंग का काम करते हैं फिर कहा हाजी रजा करते हैं। वज्रन नहीं करते हैं। घटनास्थल में मुझे 20–25 मिनट लगे इसके बाद मैं घायल आफाक अख्तर के साथ कोतवाली गया था। हम दोनों लोग विक्रम से बैठकर कोतवाली गये थे। हम लोगों को कोतवाली पहुँचने में लगभग आधा घण्टा लगा और तीन बजे दिन में कोतवाली आ गये थे। कोतवाली में हम दोनों लोग आधा घण्टा रुके फिर अस्पताल सदर गये थे। सदर अस्पताल में हम लोग इमरजेंसी में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर के पास गये थे। हम लोग लगभग साढ़े तीन चार बजे शाम को अस्पताल पहुँच गये थे। हम लोगों के अलावा दो तीन लोग और आ गये थे। उनके नाम नहीं जानता क्योंकि यह आफाक अहमद को जानने वाले थे। घटना दिनांक 28.09.2008 को समय दो बजे दिन मैंने इस घटना को अभियुक्त जितेन्द्र तिवारी पुत्र मुन्नूलाल को घायल अवस्था में घटनास्थल पर नहीं देखा था। उसके शरीर में कोई चोंट मेरी घटना के दौरान नहीं आई थी। मैं घटना वाली जमीन के अलावा अगल–बगल की खेती की रकबा व नम्बर नहीं बता सकता हूँ और न ही उन जमीन मालिकों का नाम ही बता सकता हूँ। मैं अभियुक्त अवध बिहारी के पिता का नाम नहीं जानता हूँ। यह लाल बंगला का रहने वाला है।

12. **<u>अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 चोटहिल आफाक अहमद</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि वह हाजिर अदालत मुल्जिमान राजू डाक्टर, जितेन्द्र तिवारी को घटना के समय से जानते पहचानते हैं। घटना दिनांक 28.09.2008 की दोपहर करीब दो बजे दिन की है। घटना के कुछ दिन अकबर अली ने अपनी पत्नी के नाम रामदुलारी से एक बीघा एक बिस्वा जमीन तांबेश्वर मंदिर के पास खरीदी थी। जब हमलोग घटना वाले दिन जैसे ही नाम करने पहुंचे, नाप के लिये फीता निकाला और नाम शुरू की उसी समय सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी, शंकर लाल उर्फ लउवा पाण्डेय, अवध तिवारी व राजू डाक्टर आये सभी लोगों ने हमसे पूछा कि आप लोग यहां क्या कर रहे है, तो अकबर अली ने कहा जो जमीन हमने रामदुलारी से खरीदा है, उसी की नाप कर रहे हैं। सभी मुल्जिमान ने कहा यह जमीन तुमने गलत खरीदी है, इन लोगों के हाथ में नाजायज असलहे व लाठी डण्डे थे और सभी मुल्जिमान मां बहन की गाली देने लगे, हमने गाली देने से मना करने पर मुल्जिमानों ने जान से मारने की नियत से हम लोगों के ऊपर फायर कर दिया, जो मेरे दाहिने हाथ के पखौरे के जोड़ पर लगी। शोर सुनकर व फायर की आवाज सुनकर सहाब पुत्र अन्सार अली व नग्गन पुत्र रहीम बक्श निवासी अमरजई तथा और तमाम लोग आ गये। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये और कहा कि दुबारा आये तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। अकबर अली मुझे लेकर थाना कोतवाली रिपोर्ट लिखाने गये, किन्तु रिपोर्ट नही लिखी और दरोगा जी ने कहा पहले इलाज कराओं। तब अकबर अली मुझे लेकर सरकारी अस्पताल फतेहपुर आये। सदर अस्पताल फतेहपुर मे मेरा डाक्टरी मुआयना एक्सरे व इलाज हुआ। इलाज के बाद रिपोर्ट लिखाने थाना कोतवाली लेकर आये, किन्तु रिपोर्ट नही लिखी गयी, तब अकबर अली ने कप्तान साहब को प्रार्थनापत्र दिया। कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय मे अदालत द्वारा मुकदमा दर्ज करवा। दरोगा जी ने मेरा बयान नही लिया था। इसके पूर्व न्यायालय सी०जे०एम० के यहां बयान हुये थे। पत्रावली में संलग्न बयान कागज संख्या 15अ/1 को

देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की। **बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** मेरे नाम वल्दियत का कोई दूसरा आदमी मेरे मोहल्ले में नहीं है। मेरा नगर पालिका फतेहपुर में क्लर्क के पद पर वर्ष 2004 में नियुक्ति हुई थी। हमने लगभग एक साल नौकरी किया फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे नौकरी से अपने निकाले जाने की वजह नहीं मालूम है। ऐसा नहीं है कि मैंने धोखाधड़ी से नौकरी पाई हो और इसी वजह से जांच के बाद निकाला गया हो। इस मुकदमें के वादी अकबर अली मेरे रिश्तेदार नहीं है। मेरे दोस्त नहीं हैं बल्कि मेरे पिता जी के दोस्त हैं। अकबर अली के घर मेरा आना जाना रहा है। अकबर अली ने किस तारीख महीना व सन् में रामदुलारी से अपनी पत्नी के नाम बैनामा कराया था मुझे नहीं मालूम। उस जमीन के तय करने के समय व बैनामा के समय मैं मौजूद नहीं था। मुझे जानकारी नहीं है कि जमीन किस मौजे में स्थित है उसका खाता नम्बर, गाटा संख्या क्या है। घटना वाले दिन के पहले मैं उस जमीन पर कभी नहीं गया। घटना वाले दिन अकबर अली मेरे घर आये थे और मुझे साथ चलने को कहा था। अकबर अली अकेले थे और पैदल आये थे। अकबर अली मेरे घर करीब डेढ़ बजे आये थे और मुझसे वह जमीन नापने के लिये कहा था। मैं उस समय जमीन की नापजोख का काम नहीं करता था। मैंने लेखपाल या कानूनगो को बुलाने की सलाह नहीं दी। दोनों अपने घर से सीधा प्लॉट के लिये चले आये। यह जमीन ताम्बेश्वर मंदिर से उत्तर दिशा में है दूरी मैं अन्दाज से भी नहीं बता सकता हूं। हम लोग उस जमीन पर लगभग 20–25 मिनट रुके थे। चारों भुजाएं नहीं नाप पाये थे। कोई भी भुजा नहीं नापी गई थी। मुझे अनुमान से भी उस जमीन की लम्बाई चौड़ाई नहीं मालूम है। उस जमीन की चौहद्दी भी मुझे नहीं मालूम है। उसके पूरब क्या है पश्चिम क्या है। आसपास के खेतों में कौन सी फसल थी यह भी नहीं मालूम। हमारे पहुँचने के तुरन्त पांच मिनट बाद विवाद हुआ था। उस समय मैं व अकबर अली ही वहां मौजूद थे। जिस समय फायर हुआ उस समय अकबर अली मुझसे लगभग 50 फुट की दूरी पर थे। मेरा चेहरा उस समय पश्चिम दिशा में था। फायर करने वाले हमसे उत्तर दिशा में थे। उस समय मैं उस अकबर अली के खेत के पूरब तरफ खेत की मेड़ पर थे और फायर करने वाले भी उसी खेत की मेड़ पर उत्तर तरफ थे और अकबर अली भी उसी खेत की मेड़ पर पश्चिम की तरफ था। उस समय अनगिनत फायर हुए थे मैंने गिना नहीं। अकबर अली पहला फायर होते ही मुझे बचाने के लिए मेरे पास आए मुझे सिर्फ एक फायर की चोट लगी थी वह फायर मुझ पर लगभग 8–10 कम की दूरी से किया गया था। उस समय मैं पैंट बुशर्ट पहने था। बुशर्ट में खून लगा था जमीन पर गिरा था या नहीं मैंने नहीं देखा था। फायर लगने से न मैं गिरा न मैं बेहोश हुआ। मुल्जिमान से मुझसे व अकबर अली दोनों से कहासुनी हुई थी। यह फायरिंग लगभग 5 मिनट हुई थी। फायरिंग व मारपीट में अकबर अली को कोई चोट नहीं आई। अकबर अली के साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी हम लोग अपने घर से अकबर अली का प्लॉट नापने के लिए रिक्शे से गए थे और घटना के बाद दूसरे रिक्शे से कोतवाली गए थे। कोतवाली लगभग पौने तीन–तीन बजे पहुंचे थे। कोतवाली में हम लोगों ने कोई दरख्वाश्त नहीं दिया था। जुबानी घटना के बारे में कोतवाली ने बताया था। कोतवाली में हम लोग रुके नहीं थे। कोतवाली में हम लोगों को अस्पताल इलाज कराने के लिए पुलिस वालों ने कहा था फिर हम लोग कोतवाली से दूसरे रिक्शे से सदर अस्पताल पहुंचे थे। उस समय अकबर अली के अलावा मेरे साथ साहब व नगन अस्पताल में मेरे साथ थे। अस्पताल सदर मैं शाम साढ़े तीन बजे पहुंचे थे। हम लोग इमरजेंसी भी गए थे जहां डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया था व चोटें लिखी थी और मुझे घर जाने के लिए कहा। दूसरे दिन एक्स–रे के लिए आने को कहा। अस्पताल से डॉक्टरी मुआयने का कागज बनवाकर लेकर हम लोग कोतवाली गए थे। कोतवाली में डॉक्टर का कागज दिया मगर पुलिस वालों ने वह कागज नहीं लिया और न मेरी रिपोर्ट लिखा। उस दिन

फिर मैं कप्तान साहब के पास गया था। कप्तान साहब ने यहां एप्लीकेशन दिया था। कप्तान साहब के यहां उसी दिन दोपहर 12–01 बजे के लगभग हम लोग गए थे। वह एप्लीकेशन पुरानी तहसील के सामने मैंने टाइप करवाया था। उस कप्तान साहब वाली दरख्वाश्त में मैंने अपनी डॉक्टरी का कागज लगा दिया था। कप्तान साहब के यहां से लौटने के बाद 28 तारीख को फिर मैं कोतवाली नहीं गया बल्कि 29.09.08 को मैं कोतवाली गया था फिर कहा कि कप्तान साहब के यहां 28.09.08 को नहीं गया। कप्तान साहब को मैंने इस घटना का कोई प्रार्थना पत्र मैंने रजिस्ट्री से नहीं भेजा। मेरे इस मुकदमे के संबंध में मजिस्ट्रेट के सामने मेरे बयान हुए थे उस बयान में मैंने यह नहीं बताया था कि कप्तान साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया अगर उस बयान में लिखा हो तो मैं कोई कारण नहीं बता सकता हूं। अगले दिन फिर मैं 29 तारीख को जिला अस्पताल एक्स–रे कराने गया था। एक्स–रे 29.09.08 को दो बजे के पहले हो गया था। एक्स–रे करवाकर मैं अपने घर लौट आया। मैं अपनी चोटों के इलाज के संबंध में कभी भी सदर अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ और प्राइवेट अस्पताल में भी मैं कभी भरती नहीं रहा। एक्स–रे की रिपोर्ट 29.09.08 की शाम को भी मुझे मिल गई थी। मेरी डॉक्टरी का कागज और एक्स–रे का कागज मेरे पास ही रहा। यह दोनों कागज कोतवाली लेकर गए थे लेकिन पुलिस वालों ने नहीं लिया। न्यायालय में एफ.आई.आर. लिखने के बाबत अकबर अली ने प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय के आदेश से एफ.आई.आर. लिखी गई थी फिर लिखे जाने के बाद अपने मेडिकल कागज मैंने विवेचक को दिया था। मैंने विवेचक को फोटोकॉपी दिया था। मुझे जानकारी नहीं है कि अकबर अली जिस जमीन को नापने के लिए मुझे ले गया था वह जमीन उस जमीन के पूर्व मालिक रामदुलारी द्वारा बहुत पहले मुल्जिम अवध बिहारी को बेच दी गई थी। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि मुल्जिम अवध बिहारी द्वारा अकबर अली और उसकी पत्नी कमरुल निशा द्वारा धोखाधड़ी कर रामदुलारी से फर्जी बैनामा कराने के संबंध में एफ.आई.आर. लिखाई गई थी। मुझे नहीं पता अकबर अली तथा वज्ञन, रज्ञन, हाजी रजा आदि भूमाफिया हैं और प्लाटिंग का व्यवसाय करते हैं। मुझे यह भी जानकारी नहीं है की हाजी रजा, वज्ञन तथा इनके साथियों शानू उर्फ मोहम्मद रिजवान, राजू उर्फ मोहम्मद रियाज, चांद उर्फ मोहम्मद इकबाल, बच्चन उर्फ मोहम्मद फरहान, वज्ञन उर्फ मोहम्मद अतीक एवं रजा के विरुद्ध उस मुकदमे में जितेंद्र तिवारी द्वारा धारा 307, 504, 506, 120B आई.पी.सी. के अंतर्गत दिनांक 28.09.2008 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी। हाजी रजा इस समय नगर पालिका फतेहपुर के चेयरमैन हैं और वज्ञन प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मेरे पिता सईद अख्तर को जीमियां भी कहते हैं। घटना के समय में नगर पालिका में ही कार्यरत थे और हाजी रजा विगत कई वर्षों से लगातार सभासद होते रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरे वालिद सईद अख्तर व उपरोक्त हाजी रजा व वज्ञन आदि से संबंध अच्छे थे या नहीं।

13. **<u>अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 नगन</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि 'हाजिर अदालत मुल्जिमान सूरजबली, जीतेन्द्र तिवारी उर्फ राजू तिवारी व राजू डाक्टर को जानता पहचानता हूँ। ये सभी अभियुक्तगण आबूनगर के रहने वाले हैं। अभियुक्त सूरजकली आज हाजिर अदालत नहीं है और अवधबिहारी व शंकर लाल पाण्डेय की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा अबेट किया जा चुका है। दिनांक 28.09.2008 को मैं समय करीब 2.00 बजे दिन ताम्बेश्वर मंदिर से गुजर रहा था, वहां पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे और काफी भीड़ इकट्ठा थी। इतने में फायर की आवाज सुनाई दी तब सभी लोग इधर–उधर भागने लगे। मैंने देखा कि आफाक को गोली लगी है, वहां पर आफाक को गोली किसने मारी मैंने नहीं देखा और न ही आफाक से झगड़ा करने वालों को भी देखा। मैंने मुख्य न्यायिक के न्यायालय में जो बयान दिया था वह आफाक व अकबर अली के बताने से बयान दिया था। घटनास्थल पर अभियुक्तगण को सूरजबली, जीतेन्द्र तिवारी एवं डाक्टर राजू को मैंने

नहीं देखा। घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया और जिरह की अनुमति दी गई। **अभियोजन पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** मुझे अकबर अली ने अपनी पत्नी के नाम एक बीघा एक बिस्वा जमीन रामदुलारी से तामेश्वर मंदिर के पास खरीदी थी यह बात मुझे नहीं मालूम। मैं घटना वाले दिन दोपहर 2:00 बजे घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस मुकदमें के अभियुक्त अपने–अपने हाथों में नाजायज असलहे लिए थे मैंने नहीं देखा।

14. <u>अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 साहब अली</u> ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि मै हाजिर अदालत अभियुक्तगण जितेन्द्र उर्फ राजू एवं डाक्टर राजू को जानता पहचानता हूं। उक्त मुल्जिमान मोहल्ला आबूनगर थाना कोतवाली फतेहपुर के रहने वाले है। घटना दिनांक 28.09.2008 समय लगभग दो बजे दिन की है। मेरे सामने यह घटना घटित नही हुयी। मैने घटना नही देखी है। मै घटना के विषय मे कुछ नही जानता हूं, अवर न्यायालय के समक्ष धारा 202 दं०प्र०सं० मे मेरा जो बयान दर्ज है, वह मैने आफाक एवं अकबर के कहने पर दिया था। सही बात यह है कि मैं घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूं। अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं जिरह की अनुमति दी गई। **अभियोजन पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** अभियुक्तगण जितेंद्र तिवारी उर्फ राजू डॉक्टर राजू एवं सूरज बली का वादी मुकदमा अकबर अली के मध्य लड़ाई–झगड़ा वाली बात नहीं जानता। मुझे घटना की जानकारी नहीं है। **बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** मैं सी.जे.एम. फतेहपुर के न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ था। मैंने अकबर व आफाक के कहने पर बयान अंतर्गत धारा–202 दंड प्रक्रिया संहिता दिया था। घटना के समय मैं घटनास्थल पर नहीं था।

15. <u>अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 सुभाष चन्द्र सिंह सेवानिवृत्त चीफ फार्मासिस्ट</u> ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि, वह जिला चिकित्सक फतेहपुर मे वर्ष 2008 मे चीफ फार्मसिस्ट के पद पर तैनात रहा हूं, मुझे इस मुकदमें में सम्मन प्राप्त होने पर साक्ष्य के लिये उपस्थित आया हूं, दिनांक 29.09.2008 को समय 5.00 पी०एम० पर चोटहिल आफाक अख्तर पुत्र सईद अख्तर निवासी 244 उत्तरी खेलदार थाना कोतवाली जिला फतेहपुर की चोटो का चिकित्सीय परीक्षण आकस्मिक चिकित्साधिकारी डाक्टर अजीत सिंह द्वारा किया गया था और मजरूब का एल०टी०आई०आघात आख्या मे लगवाकर डाक्टर अजीत सिंह द्वारा प्रमाणित किया गया। उक्त आघात की छाया प्रति कागज संख्या 10 अ/13 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे पूर्व मे मेरे द्वारा दिनांक 22.02.2011 को न्यायालय ए०सी०जे०एम० 12 के समक्ष प्रमाणित किया जा चुका है, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क 2 पड़ा हुआ है जिसे मैं पुनः अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। उपरोक्त चोटहिल आफाक अख्तर का एक्सरे दिनांक 30.09.2008 को डाक्टर डी०के० शुक्ला द्वारा तैयार किया गया था और दिनांक 30.09–2008 को ही एक्सरे रिपोर्ट संख्या 1748 तैयार की गयी जिस पर मजरूब का निशान अंगूठा लगवाकर डाक्टर डी०के० शुक्ला द्वारा ही प्रमाणित किया गया है। एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली मे संलग्न कागज संख्या 10 अ/11 है जिसे मेरे द्वारा पूर्व मे न्यायालय ए०सी०जे०एम० कोर्ट नम्बर 12 फतेहपुर के समक्ष दिनांक 22.02.2011 को प्रमाणित किया गया था जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–1 पड़ा हुआ है जिसे आज मै पुनः अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूं, इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। इंजरी रिपोर्ट एक्सरे रिपोर्ट की मूल प्रति एवं एक्सरे प्लेट मोहम्मद आफाक अख्तर द्वारा प्राप्त की गयी है। डाक्टर अजीत सिंह जिसके द्वारा आघात आख्या तैयार की गयी है और डाक्टर डी०के० शुक्ला जिनके द्वारा एक्सरे रिपोर्ट तैयार किया गया है के साथ मै जिला चिकित्सालय फतेहपुर मे

तैनात था, लिखते पढ़ते देखा हूं, व लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं, डॉक्टर डी०के० शुक्ला की मृत्यु हो चुकी है। **बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** डॉक्टर अजीत सिंह इस समय सेवारत हैं या नहीं मैं नहीं बता सकता। मेरे सामने मजरूब आफाक अख्तर का चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया था और न ही उनका एक्स–रे रिपोर्ट व एक्स–रे किया गया था। मैं मजरूब आफाक अख्तर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। मजरूब की आघात आख्या और एक्स–रे रिपोर्ट मेरे सामने नहीं तैयार किया गया था। आघात आख्या व एक्स–रे रिपोर्ट किस आधार पर तैयार किया गया मैं नहीं बता सकता हूं। मूल आघात आख्या और मूल एक्स–रे रिपोर्ट आज मेरे समझ नहीं है। एक्सरे प्लेट भी मेरे समझ नहीं है और न ही पत्रावली में संलग्न है। दिनांक 29.09.2008 का आकस्मिक चिकित्सा कक्ष का इंजरी रिपोर्ट रजिस्टर मेरे सामने नहीं है। दिनांक 30.09.2008 का मूल एक्स–रे रिपोर्ट रजिस्टर भी मेरे समझ नहीं है। एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–6 में एक्स–रे रिपोर्ट नंबर के सामने लिखे संख्या में और तारीख में महीना और सन् दोनों में ओवरराइटिंग है यह ओवरराइटिंग कि कब किसके द्वारा किया गया मैं नहीं बता सकता। उक्त ओवर राइटिंग पर कोई सूक्ष्म हस्ताक्षर भी नहीं है। मेरी चीफ फार्मासिस्ट के रूप में सामान्य आठ बजे सुबह से दोपहर दो बजे तक थी स्वयं कहा कि कभी–कभी इमरजेंसी ड्यूटी भी लगती थी लेकिन दिनांक 29.09.2008 व 30.09.2008 में मेरी कोई इमरजेंसी ड्यूटी नहीं थी। मैंने राइटिंग विशेषज्ञ का कोई कोर्स नहीं किया है। मेरे द्वारा अनुमान से डॉक्टर डी०के० शुक्ला और डॉक्टर अजीत सिंह के हस्ताक्षरों की पहचान किया गया है।

16. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमे अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा मुकदमा रंजिशन चलाया जाना कहा तथा यह भी कथन किया कि वे निर्दोष है। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया है। किन्तु बचावपक्ष की ओर से कोई बचाव साक्षी पेश नही किया गया है।

17. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह कहा गया है कि वादी की पत्नी ने श्रीमती रामदुलारी से ताम्बेश्वर के मंदिर के पास एक बीघा एक बिस्वा जमीन का बैनामा दिनांक 10.07.2008 को कराया। दिनांक 28.09.2008 को वादी अपनी जमीन की देख–रेख के लिये लगभग दो बजे दोपहर मौके पर गया था तथा वादी के साथ चोटहिल मो० आफाक अख्तर भी थे, जब वादी अपनी जमीन की नाप जोख कर रहा था कि उसी समय वहां पर अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू, शंकरलाल पाण्डेय उर्फ लउवा पाण्डेय, अवध बिहारी द्विवेदी तथा राजू डाक्टर अपने–अपने हाथों में नाजायज असलहे लेकर मौके पर आ गये व वादी से कहने लगे कि यह जमीन हम लोगों की है, तुम इस पर क्या कर रहे हो। वादी के बताने पर कि उसने इस जमीन का बैनामा कराया है, अभियुक्तगण उत्तेजित होकर वादी व चोटहिल मो० आफाक को मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे तथा वादी के मना करने पर सभी लोग मारपीट करने लगे। इसी दौरान सभी अभियुक्तगण ने अपने हाथ में लिये असलहों से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जो चोटहिल मो० आफाक के लगा जिससे उसके चोटे आयी हैं, वह बाल–बाल बचा, वरना फायर की चोट उसके सीने पर लगती। घटना के दौरान अभियुक्तग सूरजबली सिंह लोधी तथा अन्य सभी लोग भी नाजायज असलहे लिये हुये थे। घटना के दौरान शहाब पुत्र स्व० अंसार अली व नग्गन तथा अन्य कई लोग आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया। लोगों के आ जाने पर उपरोक्त सभी अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। चोटहिल आफाक अख्तर की आघात आख्या को अभियोजन साक्षी संख्या–5 सेवानिवृत्त चीफ फार्मासिस्ट सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया गया है। अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कथानक एवं अभिलेखीय साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष

भली भांति साबित किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक को पूर्णतः साबित किया गया है। अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू व राजू डॉक्टर यादव दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

18. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं हुआ है। दौरान विवेचना साक्ष्य न मिलने पर अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अभियोजन साक्षीगण के बयानों में गम्भीर विरोधाभाष है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। घटनास्थल संदिग्ध है। अभियुक्तगण के ऊपर झूंठा मुकदमा कायम कराया गया है। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अतः अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू व राजू डॉक्टर पर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

19. **<u>अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उनकी ओर से दाखिल लिखित बहस व पत्रावली का अवलोकन किया।</u>**

<u>अवधारणीय बिन्दु</u>

20. **<u>अवधारणीय बिन्दु संख्या 01–</u>** अवधारणीय बिन्दु सं०–1 इस आशय से विरचित किया जाता है कि **क्या वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में जानबूझकर विलंब कारित किया गया है?**

21. बचावपक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा झूंठा मुकदमा लिखाया गया है। प्राथमिकी परामर्श एवं मंत्रणा के उपरान्त वादी द्वारा न्यायालय में 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र देकर झूठा मुकदमा कराने के उद्देश्य से काफी विलम्ब के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है जिसमें कि दौरान विवेचना साक्ष्य न मिलने पर अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि वादी मुकदमा की ओर से थाने में घटना की सूचना दी गई थी, परन्तु सम्बन्धित थाने में वादी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तब वादी द्वारा जरिए रजिस्ट्री एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया गया किन्तु उसके बाद भी वादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तब वादी ने न्यायालय के समक्ष 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय के आदेश से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अतः वादी मुकदमा की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी नहीं की गयी है।

इस सम्बन्ध में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए **<u>माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि–व्यवस्था State of Andhra Pradesh V/s N. Madhusuan Rao, 2008 (15) SCC 852</u> में** यह मत अवधारित किया गया है कि–

- That delay in lodging the FIR, more often that not, results in embellishment and exaggeration, which is a creature of an afterthought.
- That a delayed report not only gets bereft of the advantage of spontaneity, the danger of the introduction of coloured version, exaggerated account of the incident or a concocted story as a result of deliberations and consultation, also creeps in, casting a serious doubt on its veracity.

Therefore, it is essential that the delay in lodging the report should be satisfactorily explained. Resultantly, the prosecution case has to be rejected in its entirety.

22. पत्रवाली के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 28.09.2008 दिन दो बजे की है। वादी के 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के उपरान्त दिनांक 09.12.2008 समय 16:00 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। वादी मुकदमा अकबर पुत्र रसूल बक्स ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया प्रस्तुत करते हुये यह कथन कि वादी की पत्नी ने श्रीमती रामदुलारी से ताम्बेश्वर के मंदिर के पास एक बीघा एक बिस्वा जमीन का बैनामा दिनांक 10.07.2008 को कराया है, जिसकी गाटा संख्या 1323 है। दिनांक 28.09.2008 को वादी अपनी जमीन की देख–रेख के लिये लगभग दो बजे दोपहर मौके पर गया था तथा वादी के साथ मो० आफाक अख्तर पुत्र सईद अख्तर निवासी 244 उत्तरी खेलदार, थाना कोतवाली, फतेहपुर भी थे, जब वादी अपनी जमीन की नाप जोख कर रहा था कि उसी समय वहां पर सूरजबली लोधी पुत्र पारस लोधी प्रधान दढ़ीवा, थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर व जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू पुत्र श्री मुन्नूलाल तिवारी निवासी आबूनगर, फतेहपुर व शंकरलाल पाण्डेय उर्फ लउवा पाण्डेय पुत्र जगन्नाथ निवासी आबूनगर, थाना कोतवाली व अवध बिहारी द्विवेदी पुत्र महाबीर प्रसाद निवासी लाल बंगला कानपुर तथा राजू डाक्टर पुत्र अज्ञात निवासी आबूनगर, थाना कोतवाली, फतेहपुर अपने–अपने हाथों में नाजायज असलहे लेकर मौके पर आ गये व वादी से कहने लगे कि यह जमीन हम लोगों की है, तुम इस पर क्या कर रहे हो। वादी के बताने पर कि उसने इस जमीन का बैनामा कराया है, वह सभी लोग उत्तेजित हो गये तथा वादी व मो० आफाक को मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे तथा वादी के मना करने पर सभी लोग मारपीट करने लगे। इसी दौरान सभी ने अपने हाथ में लिये असलहो से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जो मेरे साथ मौजूद मो० आफाक के लगा जिससे उसके चोटे आयी है, वह बाल–बाल बचा, वरना फायर की चोट उसके सीने पर लगती। घटना के दौरान सूरजबली सिंह लोधी तथा अन्य सभी लोग भी नाजायज असलहे लिये हुये थे। घटना के दौरान शहाब पुत्र स्व० अंसार अली निवासी पनी व नगन पुत्र श्री रहीम बक्स निवासी अमरजई, फतेहपुर तथा अन्य कई लोग आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया। लोगों के आ जाने पर उपरोक्त सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। वादी उसी दिन घटना की रिपोर्ट करने थाना कोतवाली, फतेहपुर गया, परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी व कहा कि पहले इलाज कराओ, तब वादी व मो० आफाक अख्तर अस्पताल गये, अख्तर का काफी प्रयास के बाद अगले दिन डाक्टरी मुआयना हुआ। उसके बाद वादी फिर कोतवाली गया, परन्तु उसकी रिपोर्ट नही लिखी गयी तथा कहा कि अभी जांच चल रही है, जांच पूरी होने पर रिपोर्ट लिखी जायेगी। उसके बाद वादी कई बार कोतवाली गया, परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी व कल दिनांक 16.11.2008 को पुनः वादी थाना गया तो उसकी रिपोर्ट लिखने से थाना कोतवाली की पुलिस ने इंकार कर दिया। तब वादी ने दिनांक 17.11.2008 को पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थनापत्र भेजा लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर वादी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह याचना किया है कि थाना कोतवाली जिला फतेहपुर की पुलिस को आदेशित करे कि वह वादी की रिपोर्ट दर्ज करके मामले की विवेचना करे। उक्त प्रार्थनापत्र पर न्यायालय में सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 05.12.2008 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार करते हुए सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया कि प्रार्थनापत्र के प्रकाश में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करें एवं अपनी आख्या अन्दर सप्ताह पेश करें। अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1

<u>वादी मुकदमा अकबर अली</u> ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि वह इस मुकदमें के सभी मुल्जिमान सूरजबली लोधी, जीतेन्द्र तिवारी शंकर लाल पाण्डे व अवध बिहारी द्विवेदी व राजू डाक्टर को मैं जानता पहचानता हूँ। मेरी पत्नी ने श्रीमती रामदुलारी से तांबेश्वर मंदिर के पास एक बिस्वा जमीन का बैनामा दिनांक 10.07.2008 को कराया था, जिसकी गाटा संख्या 1323 है। यह घटना दिनांक 28.09.2008 को समय करीब 02 बजे दिन की है, उस समय मेरे साथ आफाक अख्तर जमीन की देख–रेख करने गये थे, नाप जोख करा रहा था, उसी समय उपरोक्त मुल्जिमान अपने हाथों में नाजायज असलहे लेकर आ गये, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा यह जमीन मैंने खरीदी है। मैं इसकी नाप जोख करा रहा हूं। इतने में सभी उपरोक्त लोग गाली–गलौज करने लगे और हाथापाई करने लगे। मेरे साथ मौजूद आफाक अख्तर के ऊपर फायर किया, जिससे आफाक को चोटें आयी। घटना के समय शोर गुल पर और लोग आ गये, जिनके नाम शहाब पनी मोहल्ला, नग्गन अमरजई के और बहुत से लोग आ गये, उन्होंने बीच बचाव किया। लोगों के आ जाने पर मुल्जिमान जान माल की धमकी देते हुए चले गये। मैं उसी दिन थाना कोतवाली, फतेहपुर रपट लिखाने गया, रपट नहीं लिखी गयी, कहा पहले इलाज कराकर आओ, तब रपट लिखाना। आफाक को लेकर सदर अस्पताल, फतेहपुर गया, उस दिन रविवार था। दूसरे दिन डॉक्टरी मुआयना कराया। दूसरे दिन रिपोर्ट लिखाने कोतवाली गया तो कहा कि जांच चल रही है, जांच पूरी होने पर रपट लिखी जायेगी। मैं कई बार कोतवाली गया, परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मैं अन्तिम बार 16.11.2008 को थाना कोतवाली गया, फिर नहीं लिखी तो 17.11.2008 को मैंने एस०पी०, फतेहपुर को रजिस्ट्री की थी, फिर भी कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में टाइप कराकर वकील साहब के माध्यम से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिया, जिस पर मैंने हस्ताक्षर किये, तब मुकदमा लिखने का आदेश हुआ। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) दं० प्र० सं० व शपथ पत्र पत्रावली में शामिल है, जिन पर बने हस्ताक्षर की गवाह ने पहचान व पुष्टि करते हुए प्रार्थना पत्र को प्रदर्श क–1 के रूप में एवं शपथ पत्र को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। इसके बाद पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, जिस पर मैंने न्यायालय में आपत्ति दाखिल किया। आपत्ति पत्रावली में शामिल है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की गवाह ने पहचान व पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। आपत्ति के आधार पर परिवाद के रूप में मुकदमा दायर किया, जिसमें मैंने धारा–200 दं० प्र० सं० न्यायालय में दिया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, पत्रावली में शामिल है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। **बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** मैं व्यापार नहीं करता हूँ खेती करता हूँ। मेरी मेरा मौजा अजगवां में पौने दो बीघा खेती है। सरांय मौजा में भी सवा तीन बीघा खेती है। इसके अलावा और कहीं खेती नहीं है। ताम्बेश्वर पुरवा वाली जमीन मैंने तीन लाख रुपये में खरीदा था। इस जमीन में मेरी औरत के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार नहीं था। ताम्बेश्वर मन्दिर से उत्तर की तरफ है। यह जमीन आबादी में नहीं है। अब आबादी से मिली हो गई है। मैं झगड़े के बाद मैं अपनी जमीन को देखने आज तक नहीं गया। आफाक अख्तर खेलदार के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम सईद अख्तर उर्फ जीमियां है। यह सईद अख्तर उर्फ जीमियां नगर पालिका फतेहपुर में कर्मचारी के रूप में शुरू से नौकरी किया है और अब रिटायर हो गये। नगर पालिका फतेहपुर जिला अस्पताल के सामने बना है। आफाक का घर मुझे नहीं मालूम। मैं आफाक व उनके पिता का नाम मिलने जुलने के कारण जानता पहचानता हूँ। मैं इन लोगों को दसों साल पहले से जानता पहचानता हूँ। आफाक दोस्ती के नाते गये थे। मेरी सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं दो बजे के बाद घटनास्थल पर पहुंचा था। हम दोनों लोग मोटरसाइकिल से गये थे। मोटरसाइकिल आफाक की थी। मैं शंकर लाल पाण्डेय मुल्जिम का मकान नहीं जानता हूँ। मुझे बताया गया था कि मुल्जिम शंकर लाल

पाण्डेय के पिता का नाम जगन नाथ है। सूरज बली मुल्जिम का नाम पारस लोधी बताया गया। सूरजबली गाजीपुर थाना के गढ़ीवा गांव का रहने वाला है। मैं कभी गढ़ीवा गांव नहीं गया। उस गांव के और किसी व्यक्ति को नहीं जानता। इस घटना से पहले मुझसे व सूरजबली प्रधान से कभी कोई गाली–गलौज लड़ाई झगड़ा व शिकवा शिकायत नहीं हुआ। घटना के पहले मेरा उपरोक्त मुल्जिमानों से इस सम्पत्ति को लेकर के कोई विवाद व शिकायत नहीं हुई। घटना के समय मैं व आफाक अख्तर खेत के उत्तरी मेड़ पर खड़े थे। मुझे याद नहीं कि चारों मेड़ो की लम्बाई कितनी है। घटना के समय मैं आफाक अख्तर से करीब 15 फुट की दूरी पर था। घटना के समय मुल्जिमान मुझसे व आफाक से कितनी दूरी पर थे मैं यह नहीं बता सकता। मेरे व मुल्जिमानों के बीच घटना के समय कोई अवरोध नहीं था बल्कि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। सबने फायर किया था फिर कहा कि कुछ ने हवाई फायर किया था। कुछ ने सामने से फायर किया था। मैं नहीं बता सकता कि किसने सामने से फायर किया। किसने सामने से किया। कुल तीन चार फायर हुए थे जिसमें से केवल एक गोली आफाक अख्तर को लगी थी। मेरे नहीं लगी। शहाब गवाह पनी का रहने वाला है। नग्गन अमर जई के रहने वाले हैं। घटनास्थल से मो० अमर जई व पनी लगभग ढाई तीन किलोमीटर पूरब दक्षिण कोने पर है। इन दोनों गवाहों के अलावा घटनास्थल पर आये अन्य लोगों को मैं जानता पहचानता नहीं हूँ। मो० पनी में मैं वज्नन, रजा आदि का नाम जानता हूँ। वज्नन के पिता रज्नन को जानता हूँ। वह तहसील में बैनामा लेखक थे। वज्नन व रजा जमीन खरीद कर प्लाटिंग का काम करते हैं फिर कहा हाजी रजा करते हैं। वज्नन नहीं करते हैं। घटनास्थल में मुझे 20–25 मिनट लगे इसके बाद मैं घायल आफाक अख्तर के साथ कोतवाली गया था। हम दोनों लोग विक्रम से बैठकर कोतवाली गये थे। हम लोगों को कोतवाली पहुँचने में लगभग आधा घण्टा लगा और तीन बजे दिन में कोतवाली आ गये थे। कोतवाली में हम दोनों लोग आधा घण्टा रुके फिर अस्पताल सदर गये थे। सदर अस्पताल में हम लोग इमरजेंसी में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर के पास गये थे। हम लोग लगभग साढ़े तीन चार बजे शाम को अस्पताल पहुँच गये थे। हम लोगों के अलावा दो तीन लोग और आ गये थे। उनके नाम नहीं जानता क्योंकि यह आफाक अहमद को जानने वाले थे। घटना दिनांक 28.09.2008 को समय दो बजे दिन मैंने इस घटना को अभियुक्त जितेन्द्र तिवारी पुत्र मुन्नूलाल को घायल अवस्था में घटनास्थल पर नहीं देखा था। उसके शरीर में कोई चोंट मेरी घटना के दौरान नहीं आई थी। मैं घटना वाली जमीन के अलावा अगल–बगल की खेती की रकबा व नम्बर नहीं बता सकता हूँ और न ही उन जमीन मालिकों का नाम ही बता सकता हूँ। मैं अभियुक्त अवध बिहारी के पिता का नाम नहीं जानता हूँ। यह लाल बंगला का रहने वाला है।

वादी मुकदमा की ओर से थाने में घटना की सूचना दी गई थी, परन्तु सम्बन्धित थाने में वादी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तब वादी द्वारा जरिए रजिस्ट्री एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया गया किन्तु उसके बाद भी वादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तब वादी ने न्यायालय के समक्ष 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय के आदेश से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अतः वादी मुकदमा की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी नहीं की गयी है। जो भी देरी हुई है उपरोक्त कारणों से हुई है। वादी की ओर से समय से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराने में अभियोजन पक्ष की ओर से विलंब नहीं किया गया है, बल्कि तुरन्त प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रयास किया गया। अतः बचाव पक्ष के तर्कों में कोई बल नहीं है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष इस अवधारणीय बिन्दु को साबित करने में सफल रहा है।

23. **<u>अवधारणीय बिन्दु संख्या 02–</u>** अवधारणीय बिन्दु सं०–2 इस आशय से विरचित किया जाता है कि **क्या अभियोजन अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू व**

राजू डॉक्टर द्वारा धारा– 147, 148, 307 सपठित धारा–149, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कारित किये गये अपराध को साबित करने में सफल हुआ या नहीं?

24. वादी के 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के उपरान्त दिनांक 09.12.2008 समय 16:00 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। वादी मुकदमा अकबर पुत्र रसूल बक्स ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया **प्रदर्श क–1** प्रस्तुत करते हुये यह कथन कि वादी की पत्नी ने श्रीमती रामदुलारी से ताम्बेश्वर के मंदिर के पास एक बीघा एक बिस्वा जमीन का बैनामा दिनांक 10.07.2008 को कराया है, जिसकी गाटा संख्या 1323 है। दिनांक 28.09.2008 को वादी अपनी जमीन की देख–रेख के लिये लगभग दो बजे दोपहर मौके पर गया था तथा वादी के साथ मो० आफाक अख्तर पुत्र सईद अख्तर निवासी 244 उत्तरी खेलदार, थाना कोतवाली, फतेहपुर भी थे, जब वादी अपनी जमीन की नाप जोख कर रहा था कि उसी समय वहां पर सूरजबली लोधी पुत्र पारस लोधी प्रधान दढ़ीवा, थाना गाजीपुर जिला फतेहपुर व जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू पुत्र श्री मुन्नूलाल तिवारी निवासी आबूनगर, फतेहपुर व शंकरलाल पाण्डेय उर्फ लउवा पाण्डेय पुत्र जगन्नाथ निवासी आबूनगर, थाना कोतवाली व अवध बिहारी द्विवेदी पुत्र महाबीर प्रसाद निवासी लाल बंगला कानपुर तथा राजू डाक्टर पुत्र अज्ञात निवासी आबूनगर, थाना कोतवाली, फतेहपुर अपने–अपने हाथों में नाजायज असलहे लेकर मौके पर आ गये व वादी से कहने लगे कि यह जमीन हम लोगों की है, तुम इस पर क्या कर रहे हो। वादी के बताने पर कि उसने इस जमीन का बैनामा कराया है, वह सभी लोग उत्तेजित हो गये तथा वादी व मो० आफाक को मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे तथा वादी के मना करने पर सभी लोग मारपीट करने लगे। इसी दौरान सभी ने अपने हाथ में लिये असलहो से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जो मेरे साथ मौजूद मो० आफाक के लगा जिससे उसके चोटे आयी है, वह बाल–बाल बचा, वरना फायर की चोट उसके सीने पर लगती। घटना के दौरान सूरजबली सिंह लोधी तथा अन्य सभी लोग भी नाजायज असलहे लिये हुये थे। घटना के दौरान शहाब पुत्र स्व० अंसार अली निवासी पनी व नग्गन पुत्र श्री रहीम बक्स निवासी अमरजई, फतेहपुर तथा अन्य कई लोग आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी व बीच बचाव किया। लोगों के आ जाने पर उपरोक्त सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। वादी उसी दिन घटना की रिपोर्ट करने थाना कोतवाली, फतेहपुर गया, परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी व कहा कि पहले इलाज कराओ, तब वादी व मो० आफाक अख्तर अस्पताल गये, अख्तर का काफी प्रयास के बाद अगले दिन डाक्टरी मुआयना हुआ। उसके बाद वादी फिर कोतवाली गया, परन्तु उसकी रिपोर्ट नही लिखी गयी तथा कहा कि अभी जांच चल रही है, जांच पूरी होने पर रिपोर्ट लिखी जायेगी। उसके बाद वादी कई बार कोतवाली गया, परन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी व कल दिनांक 16.11.2008 को पुनः वादी थाना गया तो उसकी रिपोर्ट लिखने से थाना कोतवाली की पुलिस ने इंकार कर दिया। तब वादी ने दिनांक 17.11.2008 को पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थनापत्र भेजा लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर वादी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह याचना किया है कि थाना कोतवाली जिला फतेहपुर की पुलिस को आदेशित करे कि वह वादी की रिपोर्ट दर्ज करके मामले की विवेचना करे। उक्त प्रार्थनापत्र पर न्यायालय में सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 05.12.2008 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार करते हुए सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया कि प्रार्थनापत्र के प्रकाश में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करें एवं अपनी आख्या अन्दर सप्ताह पेश करें। **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा अकबर अली** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि वह इस मुकदमें के सभी मुल्जिमान सूरजबली लोधी, जीतेन्द्र तिवारी शंकर लाल पाण्डे व

अवध बिहारी द्विवेदी व राजू डाक्टर को मैं जानता पहचानता हूँ। मेरी पत्नी ने श्रीमती रामदुलारी से तांबेश्वर मंदिर के पास एक बिस्वा जमीन का बैनामा दिनांक 10.07.2008 को कराया था, जिसकी गाटा संख्या 1323 है। यह घटना दिनांक 28.09.2008 को समय करीब 02 बजे दिन की है, उस समय मेरे साथ आफाक अख्तर जमीन की देख–रेख करने गये थे, नाप जोख करा रहा था, उसी समय उपरोक्त मुल्जिमान अपने हाथों में नाजायज असलहे लेकर आ गये, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा यह जमीन मैंने खरीदी है। मैं इसकी नाप जोख करा रहा हूं। इतने में सभी उपरोक्त लोग गाली–गलौज करने लगे और हाथापाई करने लगे। मेरे साथ मौजूद आफाक अख्तर के ऊपर फायर किया, जिससे आफाक को चोटें आयी। घटना के समय शोर गुल पर और लोग आ गये, जिनके नाम शहाब पनी मोहल्ला, नग्गन अमरजई के और बहुत से लोग आ गये, उन्होंने बीच बचाव किया। लोगों के आ जाने पर मुल्जिमान जान माल की धमकी देते हुए चले गये। मैं उसी दिन थाना कोतवाली, फतेहपुर रपट लिखाने गया, रपट नहीं लिखी गयी, कहा पहले इलाज कराकर आओ, तब रपट लिखाना। आफाक को लेकर सदर अस्पताल, फतेहपुर गया, उस दिन रविवार था। दूसरे दिन डॉक्टरी मुआयना कराया। दूसरे दिन रिपोर्ट लिखाने कोतवाली गया तो कहा कि जांच चल रही है, जांच पूरी होने पर रपट लिखी जायेगी। मैं कई बार कोतवाली गया, परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मैं अन्तिम बार 16.11.2008 को थाना कोतवाली गया, फिर नहीं लिखी तो 17.11.2008 को मैंने एस०पी०, फतेहपुर को रजिस्ट्री की थी, फिर भी कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में टाइप कराकर वकील साहब के माध्यम से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिया, जिस पर मैंने हस्ताक्षर किये, तब मुकदमा लिखने का आदेश हुआ। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) दं० प्र० सं० व शपथ पत्र पत्रावली में शामिल है, जिन पर बने हस्ताक्षर की गवाह ने पहचान व पुष्टि करते हुए प्रार्थना पत्र को प्रदर्श क–1 के रूप में एवं शपथ पत्र को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। इसके बाद पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, जिस पर मैंने न्यायालय में आपत्ति दाखिल किया। आपत्ति पत्रावली में शामिल है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की गवाह ने पहचान व पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। आपत्ति के आधार पर परिवाद के रूप में मुकदमा दायर किया, जिसमें मैंने धारा–200 दं० प्र० सं० न्यायालय में दिया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, पत्रावली में शामिल है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। **बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** मैं व्यापार नहीं करता हूँ खेती करता हूँ। मेरी मेरा मौजा अजगवां में पौने दो बीघा खेती है। सरांय मौजा में भी सवा तीन बीघा खेती है। इसके अलावा और कहीं खेती नहीं है। ताम्बेश्वर पुरवा वाली जमीन मैंने तीन लाख रुपये में खरीदा था। इस जमीन में मेरी औरत के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार नहीं था। ताम्बेश्वर मन्दिर से उत्तर की तरफ है। यह जमीन आबादी में नहीं है। अब आबादी से मिली हो गई है। मैं झगड़े के बाद मैं अपनी जमीन को देखने आज तक नहीं गया। आफाक अख्तर खेलदार के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम सईद अख्तर उर्फ जीमियां है। यह सईद अख्तर उर्फ जीमियां नगर पालिका फतेहपुर में कर्मचारी के रूप में शुरू से नौकरी किया है और अब रिटायर हो गये। नगर पालिका फतेहपुर जिला अस्पताल के सामने बना है। आफाक का घर मुझे नहीं मालूम। मैं आफाक व उनके पिता का नाम मिलने जुलने के कारण जानता पहचानता हूँ। मैं इन लोगों को दसों साल पहले से जानता पहचानता हूँ। आफाक दोस्ती के नाते गये थे। मेरी सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं दो बजे के बाद घटनास्थल पर पहुंचा था। हम दोनों लोग मोटरसाइकिल से गये थे। मोटरसाइकिल आफाक की थी। मैं शंकर लाल पाण्डेय मुल्जिम का मकान नहीं जानता हूँ। मुझे बताया गया था कि मुल्जिम शंकर लाल पाण्डेय के पिता का नाम जगन नाथ है। सूरज बली मुल्जिम का नाम पारस लोधी बताया गया। सूरजबली गाजीपुर थाना के गढ़ीवा गांव का रहने वाला है। मैं कभी

गढ़ीवा गांव नहीं गया। उस गांव के और किसी व्यक्ति को नहीं जानता। इस घटना से पहले मुझसे व सूरजबली प्रधान से कभी कोई गाली–गलौज लड़ाई झगड़ा व शिकवा शिकायत नहीं हुआ। घटना के पहले मेरा उपरोक्त मुल्जिमानों से इस सम्पत्ति को लेकर के कोई विवाद व शिकायत नहीं हुई। घटना के समय मैं व आफाक अख्तर खेत के उत्तरी मेड़ पर खड़े थे। मुझे याद नहीं कि चारों मेड़ो की लम्बाई कितनी है। घटना के समय मैं आफाक अख्तर से करीब 15 फुट की दूरी पर था। घटना के समय मुल्जिमान मुझसे व आफाक से कितनी दूरी पर थे मैं यह नहीं बता सकता। मेरे व मुल्जिमानों के बीच घटना के समय कोई अवरोध नहीं था बल्कि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। सबने फायर किया था फिर कहा कि कुछ ने हवाई फायर किया था। कुछ ने सामने से फायर किया था। मैं नहीं बता सकता कि किसने सामने से फायर किया। किसने सामने से किया। कुल तीन चार फायर हुए थे जिसमें से केवल एक गोली आफाक अख्तर को लगी थी। मेरे नहीं लगी। शहाब गवाह पनी का रहने वाला है। नग्गन अमर जई के रहने वाले हैं। घटनास्थल से मो० अमर जई व पनी लगभग ढाई तीन किलोमीटर पूरब दक्षिण कोने पर है। इन दोनों गवाहों के अलावा घटनास्थल पर आये अन्य लोगों को मैं जानता पहचानता नहीं हूँ। मो० पनी में मैं वज्ज़न, रजा आदि का नाम जानता हूँ। वज्ज़न के पिता रज्ज़न को जानता हूँ। वह तहसील में बैनामा लेखक थे। वज्ज़न व रजा जमीन खरीद कर प्लाटिंग का काम करते हैं फिर कहा हाजी रजा करते हैं। वज्ज़न नहीं करते हैं। घटनास्थल में मुझे 20–25 मिनट लगे इसके बाद मैं घायल आफाक अख्तर के साथ कोतवाली गया था। हम दोनों लोग विक्रम से बैठकर कोतवाली गये थे। हम लोगों को कोतवाली पहुँचने में लगभग आधा घण्टा लगा और तीन बजे दिन में कोतवाली आ गये थे। कोतवाली में हम दोनों लोग आधा घण्टा रुके फिर अस्पताल सदर गये थे। सदर अस्पताल में हम लोग इमरजेंसी में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर के पास गये थे। हम लोग लगभग साढ़े तीन चार बजे शाम को अस्पताल पहुँच गये थे। हम लोगों के अलावा दो तीन लोग और आ गये थे। उनके नाम नहीं जानता क्योंकि यह आफाक अहमद को जानने वाले थे। घटना दिनांक 28.09.2008 को समय दो बजे दिन मैंने इस घटना को अभियुक्त जितेन्द्र तिवारी पुत्र मुन्नूलाल को घायल अवस्था में घटनास्थल पर नहीं देखा था। उसके शरीर में कोई चोंट मेरी घटना के दौरान नहीं आई थी। मैं घटना वाली जमीन के अलावा अगल–बगल की खेती की रकबा व नम्बर नहीं बता सकता हूँ और न ही उन जमीन मालिकों का नाम ही बता सकता हूँ। मैं अभियुक्त अवध बिहारी के पिता का नाम नहीं जानता हूँ। यह लाल बंगला का रहने वाला है। **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 चोटहिल आफाक अहमद** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि वह हाजिर अदालत मुल्जिमान राजू डाक्टर, जितेन्द्र तिवारी को घटना के समय से जानते पहचानते हैं। घटना दिनांक 28.09.2008 की दोपहर करीब दो बजे दिन की है। घटना के कुछ दिन अकबर अली ने अपनी पत्नी के नाम रामदुलारी से एक बीघा एक बिस्वा जमीन तांबेश्वर मंदिर के पास खरीदी थी। जब हमलोग घटना वाले दिन जैसे ही नाम करने पहुंचे, नाप के लिये फीता निकाला और नाम शुरू की उसी समय सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी, शंकर लाल उर्फ लउवा पाण्डेय, अवध तिवारी व राजू डाक्टर आये सभी लोगों ने हमसे पूछा कि आप लोग यहां क्या कर रहे है, तो अकबर अली ने कहा जो जमीन हमने रामदुलारी से खरीदा है, उसी की नाप कर रहे हैं। सभी मुल्जिमान ने कहा यह जमीन तुमने गलत खरीदी है, इन लोगों के हाथ में नाजायज असलहे व लाठी डण्डे थे और सभी मुल्जिमान मां बहन की गाली देने लगे, हमने गाली देने से मना करने पर मुल्जिमानों ने जान से मारने की नियत से हम लोगों के ऊपर फायर कर दिया, जो मेरे दाहिने हाथ के पखौरे के जोड़ पर लगी। शोर सुनकर व फायर की आवाज सुनकर सहाब पुत्र अन्सार अली व नग्गन पुत्र रहीम बक्श निवासी अमरजई तथा और तमाम लोग आ गये। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये और कहा कि दुबारा आये तो जान

से हाथ धोना पड़ेगा। अकबर अली मुझे लेकर थाना कोतवाली रिपोर्ट लिखाने गये, किन्तु रिपोर्ट नही लिखी और दरोगा जी ने कहा पहले इलाज कराओं। तब अकबर अली मुझे लेकर सरकारी अस्पताल फतेहपुर आये। सदर अस्पताल फतेहपुर मे मेरा डाक्टरी मुआयना एक्सरे व इलाज हुआ। इलाज के बाद रिपोर्ट लिखाने थाना कोतवाली लेकर आये, किन्तु रिपोर्ट नही लिखी गयी, तब अकबर अली ने कप्तान साहब को प्रार्थनापत्र दिया। कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय मे अदालत द्वारा मुकदमा दर्ज करवा। दरोगा जी ने मेरा बयान नही लिया था। इसके पूर्व न्यायालय सी०जे०एम० के यहां बयान हुये थे। पत्रावली में संलग्न बयान कागज संख्या 15अ/1 को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की। **बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** मेरे नाम वल्दियत का कोई दूसरा आदमी मेरे मोहल्ले में नहीं है। मेरा नगर पालिका फतेहपुर में क्लर्क के पद पर वर्ष 2004 में नियुक्ति हुई थी। हमने लगभग एक साल नौकरी किया फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे नौकरी से अपने निकाले जाने की वजह नहीं मालूम है। ऐसा नहीं है कि मैंने धोखाधड़ी से नौकरी पाई हो और इसी वजह से जांच के बाद निकाला गया हो। इस मुकदमें के वादी अकबर अली मेरे रिश्तेदार नहीं है। मेरे दोस्त नहीं हैं बल्कि मेरे पिता जी के दोस्त हैं। अकबर अली के घर मेरा आना जाना रहा है। अकबर अली ने किस तारीख महीना व सन् में रामदुलारी से अपनी पत्नी के नाम बैनामा कराया था मुझे नहीं मालूम। उस जमीन के तय करने के समय व बैनामा के समय मैं मौजूद नहीं था। मुझे जानकारी नहीं है कि जमीन किस मौजे में स्थित है उसका खाता नम्बर, गाटा संख्या क्या है। घटना वाले दिन के पहले मैं उस जमीन पर कभी नहीं गया। घटना वाले दिन अकबर अली मेरे घर आये थे और मुझे साथ चलने को कहा था। अकबर अली अकेले थे और पैदल आये थे। अकबर अली मेरे घर करीब डेढ़ बजे आये थे और मुझसे वह जमीन नापने के लिये कहा था। मैं उस समय जमीन की नापजोख का काम नहीं करता था। मैंने लेखपाल या कानूनगो को बुलाने की सलाह नहीं दी। दोनों अपने घर से सीधा प्लॉट के लिये चले आये। यह जमीन ताम्बेश्वर मंदिर से उत्तर दिशा में है दूरी मैं अन्दाज से भी नहीं बता सकता हूं। हम लोग उस जमीन पर लगभग 20–25 मिनट रुके थे। चारों भुजाएं नहीं नाप पाये थे। कोई भी भुजा नहीं नापी गई थी। मुझे अनुमान से भी उस जमीन की लम्बाई चौड़ाई नहीं मालूम है। उस जमीन की चौहद्दी भी मुझे नहीं मालूम है। उसके पूरब क्या है पश्चिम क्या है। आसपास के खेतों में कौन सी फसल थी यह भी नहीं मालूम। हमारे पहुँचने के तुरन्त पांच मिनट बाद विवाद हुआ था। उस समय मैं व अकबर अली ही वहां मौजूद थे। जिस समय फायर हुआ उस समय अकबर अली मुझसे लगभग 50 फुट की दूरी पर थे। मेरा चेहरा उस समय पश्चिम दिशा में था। फायर करने वाले हमसे उत्तर दिशा में थे। उस समय मैं उस अकबर अली के खेत के पूरब तरफ खेत की मेड़ पर थे और फायर करने वाले भी उसी खेत की मेड़ पर उत्तर तरफ थे और अकबर अली भी उसी खेत की मेड़ पर पश्चिम की तरफ था। उस समय अनगिनत फायर हुए थे मैंने गिना नहीं। अकबर अली पहला फायर होते ही मुझे बचाने के लिए मेरे पास आए मुझे सिर्फ एक फायर की चोट लगी थी वह फायर मुझ पर लगभग 8–10 कम की दूरी से किया गया था। उस समय मैं पैंट बुशर्ट पहने था। बुशर्ट में खून लगा था जमीन पर गिरा था या नहीं मैंने नहीं देखा था। फायर लगने से न मैं गिरा न मैं बेहोश हुआ। मुल्जिमान से मुझसे व अकबर अली दोनों से कहासुनी हुई थी। यह फायरिंग लगभग 5 मिनट हुई थी। फायरिंग व मारपीट में अकबर अली को कोई चोट नहीं आई। अकबर अली के साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी हम लोग अपने घर से अकबर अली का प्लॉट नापने के लिए रिक्शे से गए थे और घटना के बाद दूसरे रिक्शे से कोतवाली गए थे। कोतवाली लगभग पौने तीन–तीन बजे पहुंचे थे। कोतवाली में हम लोगों ने कोई दरख्वाश्त नहीं दिया था। जुबानी घटना के बारे में कोतवाली ने बताया था। कोतवाली में हम लोग रुके नहीं थे। कोतवाली में हम लोगों को

अस्पताल इलाज कराने के लिए पुलिस वालों ने कहा था फिर हम लोग कोतवाली से दूसरे रिक्शे से सदर अस्पताल पहुंचे थे। उस समय अकबर अली के अलावा मेरे साथ साहब व नग्गन अस्पताल में मेरे साथ थे। अस्पताल सदर मैं शाम साढ़े तीन बजे पहुंचे थे। हम लोग इमरजेंसी भी गए थे जहां डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया था व चोटें लिखी थी और मुझे घर जाने के लिए कहा। दूसरे दिन एक्स–रे के लिए आने को कहा। अस्पताल से डॉक्टरी मुआयने का कागज बनवाकर लेकर हम लोग कोतवाली गए थे। कोतवाली में डॉक्टर का कागज दिया मगर पुलिस वालों ने वह कागज नहीं लिया और न मेरी रिपोर्ट लिखा। उस दिन फिर मैं कप्तान साहब के पास गया था। कप्तान साहब ने यहां एप्लीकेशन दिया था। कप्तान साहब के यहां उसी दिन दोपहर 12–01 बजे के लगभग हम लोग गए थे। वह एप्लीकेशन पुरानी तहसील के सामने मैंने टाइप करवाया था। उस कप्तान साहब वाली दरख्वाश्त में मैंने अपनी डॉक्टरी का कागज लगा दिया था। कप्तान साहब के यहां से लौटने के बाद 28 तारीख को फिर मैं कोतवाली नहीं गया बल्कि 29.09.08 को मैं कोतवाली गया था फिर कहा कि कप्तान साहब के यहां 28.09.08 को नहीं गया। कप्तान साहब को मैंने इस घटना का कोई प्रार्थना पत्र मैंने रजिस्ट्री से नहीं भेजा। मेरे इस मुकदमे के संबंध में मजिस्ट्रेट के सामने मेरे बयान हुए थे उस बयान में मैंने यह नहीं बताया था कि कप्तान साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया अगर उस बयान में लिखा हो तो मैं कोई कारण नहीं बता सकता हूं। अगले दिन फिर मैं 29 तारीख को जिला अस्पताल एक्स–रे कराने गया था। एक्स–रे 29.09.08 को दो बजे के पहले हो गया था। एक्स–रे करवाकर मैं अपने घर लौट आया। मैं अपनी चोटों के इलाज के संबंध में कभी भी सदर अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ और प्राइवेट अस्पताल में भी मैं कभी भरती नहीं रहा। एक्स–रे की रिपोर्ट 29.09.08 की शाम को भी मुझे मिल गई थी। मेरी डॉक्टरी का कागज और एक्स–रे का कागज मेरे पास ही रहा। यह दोनों कागज कोतवाली लेकर गए थे लेकिन पुलिस वालों ने नहीं लिया। न्यायालय में एफ.आई.आर. लिखने के बाबत अकबर अली ने प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय के आदेश से एफ.आई.आर. लिखी गई थी फिर लिखे जाने के बाद अपने मेडिकल कागज मैंने विवेचक को दिया था। मैंने विवेचक को फोटोकॉपी दिया था। मुझे जानकारी नहीं है कि अकबर अली जिस जमीन को नापने के लिए मुझे ले गया था वह जमीन उस जमीन के पूर्व मालिक रामदुलारी द्वारा बहुत पहले मुल्जिम अवध बिहारी को बेच दी गई थी। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि मुल्जिम अवध बिहारी द्वारा अकबर अली और उसकी पत्नी कमरुल निशा द्वारा धोखाधड़ी कर रामदुलारी से फर्जी बैनामा कराने के संबंध में एफ.आई.आर. लिखाई गई थी। मुझे नहीं पता अकबर अली तथा वज्ञन, रज्ञन, हाजी रजा आदि भूमाफिया हैं और प्लाटिंग का व्यवसाय करते हैं। मुझे यह भी जानकारी नहीं है की हाजी रजा, वज्ञन तथा इनके साथियों शानू उर्फ मोहम्मद रिजवान, राजू उर्फ मोहम्मद रियाज, चांद उर्फ मोहम्मद इकबाल, बच्चन उर्फ मोहम्मद फरहान, वज्ञन उर्फ मोहम्मद अतीक एवं रजा के विरुद्ध उस मुकदमे में जितेंद्र तिवारी द्वारा धारा 307, 504, 506, 120B आई.पी.सी. के अंतर्गत दिनांक 28.09.2008 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी। हाजी रजा इस समय नगर पालिका फतेहपुर के चेयरमैन हैं और वज्ञन प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मेरे पिता सईद अख्तर को जीमियां भी कहते हैं। घटना के समय में नगर पालिका में ही कार्यरत थे और हाजी रजा विगत कई वर्षों से लगातार सभासद होते रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरे वालिद सईद अख्तर व उपरोक्त हाजी रजा व वज्ञन आदि से संबंध अच्छे थे या नहीं। **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 नगन** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि 'हाजिर अदालत मुल्जिमान सूरजबली, जीतेन्द्र तिवारी उर्फ राजू तिवारी व राजू डाक्टर को जानता पहचानता हूँ। ये सभी अभियुक्तगण आबूनगर के रहने वाले हैं। अभियुक्त सूरजकली आज हाजिर अदालत नहीं है और अवधबिहारी व शंकर लाल पाण्डेय की मृत्यु हो चुकी है,

जिसकी न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा अबेट किया जा चुका है। दिनांक 28.09.2008 को मैं समय करीब 2.00 बजे दिन ताम्बेश्वर मंदिर से गुजर रहा था, वहां पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे और काफी भीड़ इकट्ठा थी। इतने में फायर की आवाज सुनाई दी तब सभी लोग इधर–उधर भागने लगे। मैंने देखा कि आफाक को गोली लगी है, वहां पर आफाक को गोली किसने मारी मैंने नहीं देखा और न ही आफाक से झगड़ा करने वालों को भी देखा। मैंने मुख्य न्यायिक के न्यायालय में जो बयान दिया था वह आफाक व अकबर अली के बताने से बयान दिया था। घटनास्थल पर अभियुक्तगण को सूरजबली, जीतेन्द्र तिवारी एवं डाक्टर राजू को मैंने नहीं देखा। घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर गवाह को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया और जिरह की अनुमति दी गई। **अभियोजन पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** मुझे अकबर अली ने अपनी पत्नी के नाम एक बीघा एक बिस्वा जमीन रामदुलारी से तामेश्वर मंदिर के पास खरीदी थी यह बात मुझे नहीं मालूम। मैं घटना वाले दिन दोपहर 2:00 बजे घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस मुकदमें के अभियुक्त अपने–अपने हाथों में नाजायज असलहे लिए थे मैंने नहीं देखा। **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 साहब अली** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि मै हाजिर अदालत अभियुक्तगण जितेन्द्र उर्फ राजू एवं डाक्टर राजू को जानता पहचानता हूं। उक्त मुल्जिमान मोहल्ला आबूनगर थाना कोतवाली फतेहपुर के रहने वाले है। घटना दिनांक 28.09.2008 समय लगभग दो बजे दिन की है। मेरे सामने यह घटना घटित नहीं हुयी। मैने घटना नहीं देखी है। मैं घटना के विषय मे कुछ नही जानता हूं, अवर न्यायालय के समक्ष धारा 202 दं०प्र०सं० मे मेरा जो बयान दर्ज है, वह मैने आफाक एवं अकबर के कहने पर दिया था। सही बात यह है कि मैं घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूं। अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया एवं जिरह की अनुमति दी गई। **अभियोजन पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** अभियुक्तगण जितेंद्र तिवारी उर्फ राजू डॉक्टर राजू एवं सूरज बली का वादी मुकदमा अकबर अली के मध्य लड़ाई–झगड़ा वाली बात नहीं जानता। मुझे घटना की जानकारी नहीं है। **बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** मैं सी.जे.एम. फतेहपुर के न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ था। मैंने अकबर व आफाक के कहने पर बयान अंतर्गत धारा–202 दंड प्रक्रिया संहिता दिया था। घटना के समय मैं घटनास्थल पर नहीं था। **अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 सुभाष चन्द्र सिंह सेवानिवृत्त चीफ फार्मासिस्ट** ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि, वह जिला चिकित्सक फतेहपुर मे वर्ष 2008 मे चीफ फार्मसिस्ट के पद पर तैनात रहा हूं, मुझे इस मुकदमें में सम्मन प्राप्त होने पर साक्ष्य के लिये उपस्थित आया हूं, दिनांक 29.09.2008 को समय 5.00 पी०एम० पर चोटहिल आफाक अख्तर पुत्र सईद अख्तर निवासी 244 उत्तरी खेलदार थाना कोतवाली जिला फतेहपुर की चोटो का चिकित्सीय परीक्षण आकस्मिक चिकित्साधिकारी डाक्टर अजीत सिंह द्वारा किया गया था और मजरूब का एल०टी०आई०आघात आख्या मे लगवाकर डाक्टर अजीत सिंह द्वारा प्रमाणित किया गया। उक्त आघात की छाया प्रति कागज संख्या 10 अ/13 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे पूर्व में मेरे द्वारा दिनांक 22.02.2011 को न्यायालय ए०सी०जे०एम० 12 के समक्ष प्रमाणित किया जा चुका है, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क 2 पड़ा हुआ है जिसे मै पुनः अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। उपरोक्त चोटहिल आफाक अख्तर का एक्सरे दिनांक 30.09.2008 को डाक्टर डी०के० शुक्ला द्वारा तैयार किया गया था और दिनांक 30.09–2008 को ही एक्सरे रिपोर्ट संख्या 1748 तैयार की गयी जिस पर मजरूब का निशान अंगूठा लगवाकर डाक्टर डी०के० शुक्ला द्वारा ही प्रमाणित किया गया है। एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली मे संलग्न कागज संख्या 10 अ/11 है जिसे मेरे द्वारा पूर्व मे न्यायालय

ए०सी०जे०एम० कोर्ट नम्बर 12 फतेहपुर के समक्ष दिनांक 22.02.2011 को प्रमाणित किया गया था जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–1 पड़ा हुआ है जिसे आज मै पुनः अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूं, इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। इंजरी रिपोर्ट एक्सरे रिपोर्ट की मूल प्रति एवं एक्सरे प्लेट मोहम्मद आफाक अख्तर द्वारा प्राप्त की गयी है। डाक्टर अजीत सिंह जिसके द्वारा आघात आख्या तैयार की गयी है और डाक्टर डी०के० शुक्ला जिनके द्वारा एक्सरे रिपोर्ट तैयार किया गया है के साथ मै जिला चिकित्सालय फतेहपुर मे तैनात था, लिखते पढ़ते देखा हूं, व लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं, डॉक्टर डी०के० शुक्ला की मृत्यु हो चुकी है। **बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** डॉक्टर अजीत सिंह इस समय सेवारत हैं या नहीं मैं नहीं बता सकता। मेरे सामने मजरूब आफाक अख्तर का चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया था और न ही उनका एक्स–रे रिपोर्ट व एक्स–रे किया गया था। मैं मजरूब आफाक अख्तर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। मजरूब की आघात आख्या और एक्स–रे रिपोर्ट मेरे सामने नहीं तैयार किया गया था। आघात आख्या व एक्स–रे रिपोर्ट किस आधार पर तैयार किया गया मैं नहीं बता सकता हूं। मूल आघात आख्या और मूल एक्स–रे रिपोर्ट आज मेरे समझ नहीं है। एक्सरे प्लेट भी मेरे समझ नहीं है और न ही पत्रावली में संलग्न है। दिनांक 29.09.2008 का आकस्मिक चिकित्सा कक्ष का इंजरी रिपोर्ट रजिस्टर मेरे सामने नहीं है। दिनांक 30.09.2008 का मूल एक्स–रे रिपोर्ट रजिस्टर भी मेरे समझ नहीं है। एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–6 में एक्स–रे रिपोर्ट नंबर के सामने लिखे संख्या में और तारीख में महीना और सन् दोनों में ओवरराइटिंग है यह ओवरराइटिंग कि कब किसके द्वारा किया गया मैं नहीं बता सकता। उक्त ओवर राइटिंग पर कोई सूक्ष्म हस्ताक्षर भी नहीं है। मेरी चीफ फार्मासिस्ट के रूप में सामान्य आठ बजे सुबह से दोपहर दो बजे तक थी स्वयं कहा कि कभी–कभी इमरजेंसी ड्यूटी भी लगती थी लेकिन दिनांक 29.09.2008 व 30.09.2008 में मेरी कोई इमरजेंसी ड्यूटी नहीं थी। मैंने राइटिंग विशेषज्ञ का कोई कोर्स नहीं किया है। मेरे द्वारा अनुमान से डॉक्टर डी०के० शुक्ला और डॉक्टर अजीत सिंह के हस्ताक्षरों की पहचान किया गया है।

25. अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा अकबर अली ने अपने जिरह बयान में कथन किया है कि आफाक का घर मुझे नहीं मालूम। मैं दो बजे के बाद घटनास्थल पर पहुंचा था। हम दोनों लोग मोटरसाइकिल से गये थे। मोटरसाइकिल आफाक की थी। घटना के समय मैं आफाक अख्तर से करीब 15 फुट की दूरी पर था। सबने फायर किया था फिर कहा कि कुछ ने हवाई फायर किया था। कुछ ने सामने से फायर किया था। मैं नहीं बता सकता कि किसने सामने से फायर किया। अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 चोटहिल आफाक अहमद ने अपने जिरह बयान में कथन किया है कि अकबर अली के घर मेरा आना जाना रहा है। घटना वाले दिन अकबर अली मेरे घर आये थे और मुझे साथ चलने को कहा था। अकबर अली अकेले थे और पैदल आये थे। अकबर अली मेरे घर करीब डेढ़ बजे आये थे और मुझसे वह जमीन नापने के लिये कहा था। जिस समय फायर हुआ उस समय अकबर अली मुझसे लगभग 50 फुट की दूरी पर थे। यह फायरिंग लगभग 5 मिनट हुई थी। फायरिंग व मारपीट में अकबर अली को कोई चोट नहीं आई। अकबर अली के साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी हम लोग अपने घर से अकबर अली का प्लॉट नापने के लिए रिक्शे से गए थे और घटना के बाद दूसरे रिक्शे से कोतवाली गए थे। इस प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा अकबर अली व अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 चोटहिल आफाक अहमद के उक्त बयानों में गम्भीर विरोधाभाष है।

26. अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 नगन ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि हाजिर अदालत मुल्जिमान सूरजबली, जीतेन्द्र तिवारी उर्फ राजू तिवारी व राजू डाक्टर

को जानता पहचानता हूँ। ये सभी अभियुक्तगण आबूनगर के रहने वाले हैं। अभियुक्त सूरजकली आज हाजिर अदालत नहीं है और अवधबिहारी व शंकर लाल पाण्डेय की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा अबेट किया जा चुका है। दिनांक 28.09.2008 को मैं समय करीब 2.00 बजे दिन ताम्बेश्वर मंदिर से गुजर रहा था, वहां पर कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे और काफी भीड़ इकट्ठा थी। इतने में फायर की आवाज सुनाई दी तब सभी लोग इधर–उधर भागने लगे। मैंने देखा कि आफाक को गोली लगी है, वहां पर आफाक को गोली किसने मारी मैंने नहीं देखा और न ही आफाक से झगड़ा करने वालों को भी देखा। मैंने मुख्य न्यायिक के न्यायालय में जो बयान दिया था वह आफाक व अकबर अली के बताने से बयान दिया था। घटनास्थल पर अभियुक्तगण को सूरजबली, जीतेन्द्र तिवारी एवं डाक्टर राजू को मैंने नहीं देखा। घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर गवाह को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया और जिरह की अनुमति दी गई। **अभियोजन पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** मुझे अकबर अली ने अपनी पत्नी के नाम एक बीघा एक बिस्वा जमीन रामदुलारी से तामेश्वर मंदिर के पास खरीदी थी यह बात मुझे नहीं मालूम। मैं घटना वाले दिन दोपहर 2:00 बजे घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस मुकदमें के अभियुक्त अपने–अपने हाथों में नाजायज असलहे लिए थे मैंने नहीं देखा। अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 साहब अली ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि मै हाजिर अदालत अभियुक्तगण जितेन्द्र उर्फ राजू एवं डाक्टर राजू को जानता पहचानता हूं। उक्त मुल्जिमान मोहल्ला आबूनगर थाना कोतवाली फतेहपुर के रहने वाले है। घटना दिनांक 28.09.2008 समय लगभग दो बजे दिन की है। मेरे सामने यह घटना घटित नहीं हुयी। मैने घटना नहीं देखी है। मैं घटना के विषय मे कुछ नही जानता हूं, अवर न्यायालय के समक्ष धारा 202 दं०प्र०सं० मे मेरा जो बयान दर्ज है, वह मैने आफाक एवं अकबर के कहने पर दिया था। सही बात यह है कि मैं घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूं। अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को **पक्षद्रोही घोषित** किया गया एवं जिरह की अनुमति दी गई। **अभियोजन पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** अभियुक्तगण जितेंद्र तिवारी उर्फ राजू डॉक्टर राजू एवं सूरज बली का वादी मुकदमा अकबर अली के मध्य लड़ाई–झगड़ा वाली बात नहीं जानता। मुझे घटना की जानकारी नहीं है। **बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** मैं सी.जे.एम. फतेहपुर के न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ था। मैंने अकबर व आफाक के कहने पर बयान अंतर्गत धारा–202 दंड प्रक्रिया संहिता दिया था। घटना के समय मैं घटनास्थल पर नहीं था। अभियोजन साक्षी संख्या–1 वादी मुकदमा अकबर अली ने अपने बयान में कहा है कि घटना के समय शोर गुल पर और लोग आ गये, जिनके नाम शहाब पनी मोहल्ला, नग्गन अमरजई के और बहुत से लोग आ गये, उन्होंने बीच बचाव किया तथा अभियोजन साक्षी संख्या–2 चोटहिल आफाक अहमद ने अपने बयान में कथन किया है कि शोर सुनकर व फायर की आवाज सुनकर सहाब पुत्र अन्सार अली व नग्गन पुत्र रहीम बक्श निवासी अमरजई तथा और तमाम लोग आ गये। उक्त साक्षीगण घटनास्थल पर मौके के गवाह थे जिन्हें अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 नग्गन व साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 साहब अली ने अपने बयानों में घटना का समर्थन नहीं किया है।

27. अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 सुभाष चन्द्र सिंह सेवानिवृत्त चीफ फार्मासिस्ट ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि, वह जिला चिकित्सक फतेहपुर मे वर्ष 2008 मे चीफ फार्मसिस्ट के पद पर तैनात रहा हूं, मुझे इस मुकदमें में सम्मन प्राप्त होने पर साक्ष्य के लिये उपस्थित आया हूं, दिनांक 29.09.2008 को समय 5.00 पी०एम० पर चोटहिल आफाक अख्तर पुत्र सईद अख्तर निवासी 244 उत्तरी खेलदार थाना कोतवाली

जिला फतेहपुर की चोटो का चिकित्सीय परीक्षण आकस्मिक चिकित्साधिकारी डाक्टर अजीत सिंह द्वारा किया गया था और मजरूब का एल०टी०आई०आघात आख्या मे लगवाकर डाक्टर अजीत सिंह द्वारा प्रमाणित किया गया। उक्त आघात की छाया प्रति कागज संख्या 10 अ/13 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे पूर्व में मेरे द्वारा दिनांक 22.02.2011 को न्यायालय ए०सी०जे०एम० 12 के समक्ष प्रमाणित किया जा चुका है, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क 2 पड़ा हुआ है जिसे मै पुनः अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। उपरोक्त चोटहिल आफाक अख्तर का एक्सरे दिनांक 30.09.2008 को डाक्टर डी०के० शुक्ला द्वारा तैयार किया गया था और दिनांक 30.09–2008 को ही एक्सरे रिपोर्ट संख्या 1748 तैयार की गयी जिस पर मजरूब का निशान अंगूठा लगवाकर डाक्टर डी०के० शुक्ला द्वारा ही प्रमाणित किया गया है। एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली मे संलग्न कागज संख्या 10 अ/11 है जिसे मेरे द्वारा पूर्व मे न्यायालय ए०सी०जे०एम० कोर्ट नम्बर 12 फतेहपुर के समक्ष दिनांक 22.02.2011 को प्रमाणित किया गया था जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–1 पड़ा हुआ है जिसे आज मै पुनः अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूं, इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। इंजरी रिपोर्ट एक्सरे रिपोर्ट की मूल प्रति एवं एक्सरे प्लेट मोहम्मद आफाक अख्तर द्वारा प्राप्त की गयी है। डाक्टर अजीत सिंह जिसके द्वारा आघात आख्या तैयार की गयी है और डाक्टर डी०के० शुक्ला जिनके द्वारा एक्सरे रिपोर्ट तैयार किया गया है के साथ मै जिला चिकित्सालय फतेहपुर मे तैनात था, लिखते पढ़ते देखा हूं, व लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं, डॉक्टर डी०के० शुक्ला की मृत्यु हो चुकी है। **बचाव पक्ष की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि** डॉक्टर अजीत सिंह इस समय सेवारत हैं या नहीं मैं नहीं बता सकता। मेरे सामने मजरूब आफाक अख्तर का चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया था और न ही उनका एक्स–रे रिपोर्ट व एक्स–रे किया गया था। मैं मजरूब आफाक अख्तर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। मजरूब की आघात आख्या और एक्स–रे रिपोर्ट मेरे सामने नहीं तैयार किया गया था। आघात आख्या व एक्स–रे रिपोर्ट किस आधार पर तैयार किया गया मैं नहीं बता सकता हूं। मूल आघात आख्या और मूल एक्स–रे रिपोर्ट आज मेरे समझ नहीं है। एक्सरे प्लेट भी मेरे समझ नहीं है और न ही पत्रावली में संलग्न है। दिनांक 29.09.2008 का आकस्मिक चिकित्सा कक्ष का इंजरी रिपोर्ट रजिस्टर मेरे सामने नहीं है। दिनांक 30.09.2008 का मूल एक्स–रे रिपोर्ट रजिस्टर भी मेरे समझ नहीं है। एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–6 में एक्स–रे रिपोर्ट नंबर के सामने लिखे संख्या में और तारीख में महीना और सन् दोनों में ओवरराइटिंग है यह ओवरराइटिंग कि कब किसके द्वारा किया गया मैं नहीं बता सकता। उक्त ओवर राइटिंग पर कोई सूक्ष्म हस्ताक्षर भी नहीं है। मेरी चीफ फार्मासिस्ट के रूप में सामान्य आठ बजे सुबह से दोपहर दो बजे तक थी स्वयं कहा कि कभी–कभी इमरजेंसी ड्यूटी भी लगती थी लेकिन दिनांक 29.09.2008 व 30.09.2008 में मेरी कोई इमरजेंसी ड्यूटी नहीं थी।

28. अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 सुभाष चन्द्र सिंह सेवानिवृत्त चीफ फार्मासिस्ट द्वारा अपने जिरह बयान में कथन किया गया है कि मेरे सामने मजरूब आफाक अख्तर का चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया था और न ही उनका एक्स–रे रिपोर्ट व एक्स–रे किया गया था। मजरूब की आघात आख्या और एक्स–रे रिपोर्ट मेरे सामने नहीं तैयार किया गया था। आघात आख्या व एक्स–रे रिपोर्ट किस आधार पर तैयार किया गया मैं नहीं बता सकता हूं। मूल आघात आख्या और मूल एक्स–रे रिपोर्ट आज मेरे समझ नहीं है। एक्सरे प्लेट भी मेरे समझ नहीं है और न ही पत्रावली में संलग्न है। दिनांक 29.09.2008 का आकस्मिक चिकित्सा कक्ष का इंजरी रिपोर्ट रजिस्टर मेरे सामने नहीं है। दिनांक 30.09.2008 का मूल एक्स–रे रिपोर्ट रजिस्टर भी मेरे समझ नहीं है। एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–6 में एक्स–रे रिपोर्ट नंबर के सामने लिखे संख्या में और तारीख में महीना और सन् दोनों में ओवरराइटिंग है यह

ओवरराइटिंग कि कब किसके द्वारा किया गया मैं नहीं बता सकता। उक्त ओवर राइटिंग पर कोई सूक्ष्म हस्ताक्षर भी नहीं है। मेरी चीफ फार्मासिस्ट के रूप में सामान्य आठ बजे सुबह से दोपहर दो बजे तक थी स्वयं कहा कि कभी–कभी इमरजेंसी ड्यूटी भी लगती थी लेकिन दिनांक 29.09.2008 व 30.09.2008 में मेरी कोई इमरजेंसी ड्यूटी नहीं थी। मजरूब की एक्स–रे रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में चोटहिल आफाक अहमद की आघात आख्या को पूर्ण रूप से साबित नहीं किया गया है। इसके अतरिक्त अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा चोटहिल आफाक अहमद को असलहों से फायर करके चोटें पहुँचाए जाने का कथन किया गया है परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी असलहों या अन्य आयुध की बरामदगी नहीं दर्शाई गई है जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

29. इस प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा अकबर अली व अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 चोटहिल आफाक अहमद के उक्त बयानों में गम्भीर विरोधाभाष, अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 नग्गन व साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 साहब अली द्वारा अपने बयानों में घटना का समर्थन न किये जाने एवं किसी भी आयुध की बरामदगी न होने व चिकित्सीय साक्ष्य पूर्ण रूप से साबित न होने के कारण अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू व राजू डॉक्टर के विरूद्व विकल्प में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 307 सपठित धारा–149, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने मे पूर्णतया असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू व राजू डॉक्टर आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 307 सपठित धारा–149, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता मे संदेह का लाभ देते हुये दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

30. इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से साबित नहीं है। वादी द्वारा तहरीर में जो कथन किये गये हैं, घटना के चक्षुदर्शी साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–3 नग्गन व साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 साहब अली के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये प्रतिपरीक्षा के बयानों में घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा अकबर अली व अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 चोटहिल आफाक अहमद के उक्त बयानों में गम्भीर विरोधाभाष है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक सन्देह से परे साबित नहीं है। उक्त प्रकरण की परिस्थितियां युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं है। मात्र अनुमान, सन्देह एवं अविश्वसनीय कथनों के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि–व्यवस्था **Vikramjit Singh Alias Vicky v. State Of Punjab. reported in (2006) 12 SCC 306**, संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता और आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे अपराध साबित करना होगा।, **Rajiv Singh vs State of Bihar 2016 (93) ACC 525** में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "कोई आरोप तभी साबित कहा जा सकता है जब विधिक दोषसिद्धि एवं निश्चित साक्ष्य उपलब्ध है। किसी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक दोष के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे आरोप साबित करना होता है। निर्दोषता की अवधारणा न केवल व्यक्ति विशेष को सुरक्षित करती है बल्कि विधिक निकाय की सुरक्षा एवं उसमें जनसामान्य के विश्वास को भी बनाये रखती है।" इस प्रकार अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में जो बयान हैं उनके आधार पर अभियोजन कथानक सन्देह से परे साबित नहीं है। इस सम्बन्ध में **State of Maharashtra vs D.L. Rao ACC 2010 (17) 849** में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि सन्देह का लाभ अभियुक्त को ही

<u>दिया जायेगा।</u> इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त मैं इस मत का हूं कि अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

31. उक्त परिस्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू व राजू डॉक्टर के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 307 सपठित धारा–149, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। परिणामस्वरूप में अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू व राजू डॉक्टर आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 307 सपठित धारा–149, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में सन्देह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

32. सत्र परीक्षण वाद संख्या–11/2013, मुकदमा अपराध संख्या–890/2008, थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर के प्रकरण में अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू व राजू डॉक्टर को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 307 सपठित धारा–149, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

33. अभियुक्तगण सूरजबली लोधी, जितेन्द्र तिवारी उर्फ राजू व राजू डॉक्टर प्रस्तुत मामले में जमानत पर है। उनके जमानतनामें एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

34. अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा **धारा–437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अंन्तर्गत प्रस्तुत बन्ध–पत्र एवं प्रतिभू पत्र अग्रिम छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे। अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस दिये जाने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

दिनांकः– 12.06.2026

(राम किशोर–III)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01, फतेहपुर।
जे०ओ०कोड–UP6055

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः– 12.06.2026

(राम किशोर–III)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01, फतेहपुर।
जे०ओ०कोड–UP6055